न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 02/2025

अपीलार्थी

लखमाराम पुत्र रगाराम जी, जाति–देवासी, निवासी–जैला, तह. व जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 04 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 90/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 24–12–2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 30–6–2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी को खसरा संख्या 638/297 एवं खसरा संख्या 303 रकबा 0–0600 हेक्टेयर वाके ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस जारी कर दिनांक 24.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दी जिस पर अपीलार्थी दिनांक 24.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश करने हेतु समय की मांग की, तब अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी की सूचना बाद में दिये जाने का आश्वासन अपीलार्थी को दिया, लेकिन अपीलार्थी को आगामी पेशी की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई, जिससे अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से वंचित रहा है, जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रश्नगत्त भूमि पर अपीलार्थी ने करीब 18 वर्ष पूर्व पक्के परकोटे का निर्माण करवाया है तथा उक्त भूमि पर मकान का निर्माण पहले कच्चा करवाया एवं बाद में उसे पक्का निर्मित करवाया है। अपीलार्थी एवं उसका परिवार उक्त परिसर में गत 15 वर्षो से अधिक समय से निवास कर रहे है तथा उक्त भूमि गांव जैला की आबादी भूमि से लगती हुई आयी हुई है। उक्त भूमि एवं आस–पास की भूमि पर अनेकों व्यक्तियों के मकान एवं बाडे बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि प्रश्नगत भूमि एवं उसके आस–पास स्थित भूमि आबादी भूमि के रूप में उपयोग में आ रही है एवं उस पर अनेकों मकान बने हुए है। ग्राम पंचायत जैला ने खसरा संख्या

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

638/297 की भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित एवं आंवटित करने की मांग की है एवं इस हेतु एनओसी जारी की गई है। जिससे उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल किया जाना न्यायसंगत नहीं है। गांव जैला में अपीलार्थी के पास प्रश्नगत भूमि एवं उस पर स्थित मकान के अलावा अन्य कोई आवासीय मकान या भूमि गांव जैला में नहीं है, जिससे अपीलार्थी, उक्त भूमि का नियमन आवास हेतु अपने नाम से करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलार्थी के साथ भारी गैर इंसाफ किया है। ग्राम पंचायत, जैला ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर उक्त खसरे की भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित व आंवटित करने हेतु उप तहसीलदार, कालन्द्री से मांग की है तथा उप तहसीलदार, कालन्द्री ने पटवारी हल्का जैला को निर्देशित किया है कि वह ग्राम पंचायत, जैला के आवेदन के आधार पर मौके व राजस्व रेकार्ड के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में आबादी विस्तार हेतु भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थी को बेदखल किये जाने से अपीलार्थी व उसके परिवारजन बेघर—बार हो जावेंगे। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहा है, जिससे अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। ग्राम जैला के भूमिहीन निवासीयों को गांव में आवास हेतु आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का विधि में अधिकार प्राप्त है। अपीलार्थी गरीब मजदूर पेशा पशुपालक वर्ग से है। अपीलार्थी के पास उक्त आवासीय मकान के अलावा अन्य कोई आवासीय मकान या भूमि नहीं है। अपीलार्थी ने प्रश्नगत मकान में विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। अपीलार्थी उक्त भूमि का पट्टा अपने नाम से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। आम रास्ता पूर्व की भांति मौके पर यथावत चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2024 को निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के बने हुए मकान का नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, जैला द्वारा संवत 2081 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खसरा संख्या 638/297 रकबा 0—0200 हेक्टेयर किस्म पडत व खसरा संख्या 303 रकबा 0—0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर पक्का आवासीय मकान व पक्की चार दिवारी का निर्माण करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, जैला द्वारा संवत 2081 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खसरा संख्या 638/297 रकबा 0—0200 हेक्टेयर किस्म पडत व खसरा संख्या 303 रकबा 0—0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रुप कब्जा कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

नियत सुनवाई तिथि 24—12—2024 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुआ है, लेकिन बचाव में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खसरा संख्या 638/297 रकबा 0—0200 हेक्टेयर किस्म पडत व खसरा संख्या 303 रकबा 0—0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रुप कब्जा कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरुप प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते